संख्या-94/2022/1628/26-3-2022

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक: 08 अगस्त 2022

विषय:- केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष राज्य स्तर पर उपलब्ध केन्द्रांश की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त करते हुये एस0एन0ए0 खाते में जमा किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-113/110/ज0जा0वि0/एटीएस-सियरिया/2022-23, दिनांक-15.07.2022, पत्र संख्या-111/ज0जा0वि0/सा0सु0जा0कार्य0/2022/23, दिनांक-15.07.2022, पत्र संख्या-110/ज0जा0वि0/रेनवाटर हारवेस्टिंग/2021-22, दिनांक-14.07.2022 एवं पत्रांक-93/ज0जा0वि0/ लेखा/ 2022-23, दिनांक-27.06.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष राज्य स्तर पर उपलब्ध केन्द्रांश की धनराशि को चालू वित्तीय वर्श 2022-23 में अवमुक्त करते हुये एस0एन0ए0 खाते में जमा किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्र पुरोनिधानित के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष राज्य स्तर पर उपलब्ध केन्द्रांश की निम्नलिखित धनराशि को योजना से सम्बन्धित एस0एन0ए0 खातें में जमा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती हैः-

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	योजना का नाम	लेखाशीर्षक	प्राविधानित धनराशि	राज्य स्तर पर अवशेष राज्यांश
1	2	3	4	5
1	जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता से संचालित कार्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में।	4225-02-796-01-0108-जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत निर्माण कार्य-24-वृहद निर्माण	1700.00	638.91
2	वनबन्धु कल्याण योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के सम्बन्ध में।	4225-02-796-01-0109-वन बन्धु कल्याण योजना-24-वृहद निर्माण	30.00	10.00
3	वनबन्धु कल्याण योजनान्तर्गत	4225-02-796-01-0109-वन	30.00	19.98

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	विभाग के अधीन संचालित 02 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में रेव वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।	बन्धु कल्याण योजना-24-वृहद निर्माण		
4	लघु वन उपजों के विपणन हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य दिये जाने के सम्बन्ध में।	4225-02-798-0110-लघु वन उपजों के विपणन हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य-24-वृहद निर्माण	821.30	821.25

3- उक्त धनराशि के व्यय की अनुमति पृथक से शासन प्राप्त की जायेगी।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक- " 4225-02-796-01-0108-जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्ततर्गत निर्माण कार्य-24-वृहद निर्माण, लेखाशीर्षक-4225-02-796-01-0109-वन बन्धु- कल्याण योजना-24-वृहद निर्माण, लेखाशीर्षक-4225-02-796- 01-0109-वन बन्धु- कल्याण योजना-24-वृहद निर्माण एवं लेखाशीर्षक-4225-02-798-0110-लघु वन उपजों के विपणन हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्यस-24-वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वित्त ई-4- -दस/2022, दिनांक-21जुलाई, 2022 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

पृसं0-94 /2022/1628 (1)/26-3-2022 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in